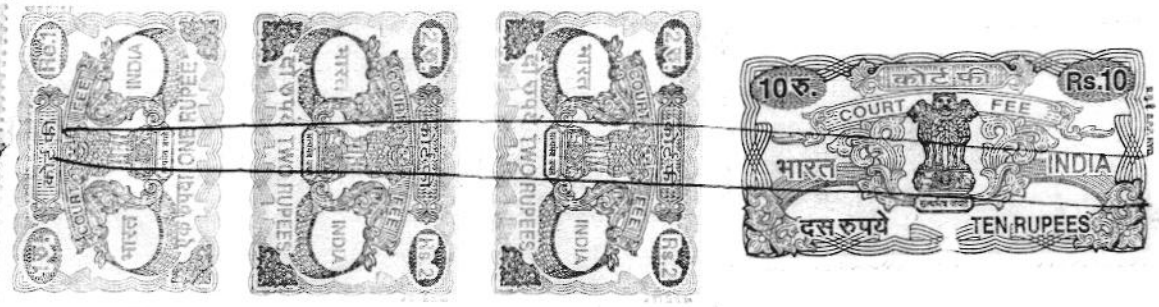

335

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–छतरपुर R 2785-III/14

दौलता तनय श्री बलिया धोबी निवासी महाराज गंज तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

(1) बिल्लाई तनय श्री मुलुवा चमार

(2) गुविन्दे तनय मुलुवा चमार

(3) भुमानीदीन तनय धुरिया गडरिया

निवासीगण महाराजगंज तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 54/बी–121/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 02.07.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण याचिका।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण आवेदन सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

(1) यहकि, ग्राम महाराजगंज तहसील व जिला छतरपुर में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 778/1 रकवा 2.756 पर आवेदक का विगत कई वर्षो से निरन्तर कास्त करके कब्जा चला आ रहा है, एवं वर्तमान समय में आवेदक का विवादित भूमि पर कब्जा है।

(2) यहकि, सम्वत 2012 राजस्व रिकार्ड में भूमि खसरा क्रमांक 778/1 रकवा 2.756 हैक्ट्यर पर आवेदक निगरानी कर्ता का नाम शामलाती खाते में दर्ज रहा है, जो लगातार वर्ष 1985–86 तक के खसरों में आवेदक का नाम शामलाती खाते में दर्ज रहा है, जिसपर आज भी आवेदक का अधिपत्य है। उक्त वर्णित भूमि पर कार्य कर अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा है। परन्तु वर्ष 1990 के राजस्व अभिलेख खसरें में अंकित टीप प्रकरण क्रमांक 6/अ–19/1990–91 में पारित आदेश दिनांक 28.06.1990 के

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2785-तीन/2014 जिला छतरपुर दौलता विरूद्ध बिल्लाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 54/बी-121/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 02-07-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 28-08-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

17.01.19

के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

17.01.19

(आर.के. जैन)
सदस्य